



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022023-243361
CG-DL-E-02022023-243361

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]
No. 469]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 2, 2023/माघ 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 2, 2023/MAGHA 13, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)
(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)
परिशिष्ट

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2023

का.आ. 489(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना का.आ. 193(अ), दिनांक 11 जनवरी, 2023 जो खुदरा मूल्य से संबंधित है भारत के आसाधारण राजपत्र में तालिका के क्रम सं. 3 का हिंदी और अंग्रेजी दोनों का रूपांतरण निम्नानुसार पढ़ा जाए।

इसके स्थान पर

क्र. सं.	अनुसूचित विनिर्माता का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	पेरासिटामोल, फिनाइलफ्राइन और क्लोरफेनिरामाइन गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: पेरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 10 मिलीग्राम क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	4.36

पढ़ा जाए

क. सं.	अनुसूचित विनिर्भित नाम/ब्रांड नाम	का का	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	पेरासिटामोल, फिनाइलफ्राइन और क्लोरफेनिरामाइन गोली		प्रत्येक अलेपित गोली में: पेरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 10 मिलीग्राम क्लोरफेनिरामाइन मैलेट आईपी 2 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स अकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	4.36

दिनांक 11 जनवरी, 2023 के मूल आदेश का.आ. 193(अ), में उल्लेखित सभी नोटस और अन्य समाग्री समान रहेगी।

[कां. सं./239/107/2023/एफ फा. सं. 8(107)/2023/डीपी/एनपीपीए –डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd February, 2023

S.O. 489(E).—In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 193(E), dated 11th January 2023 relating to fixation of retail price, published in the Gazette of India, Extraordinary, the Entry at Sl. No. 3 of the Table, both in Hindi & English version, be read as follows:

Instead of

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Paracetamol, Phenylephrine and Chlorpheniramine Tablets	Each film coated tablet contains: Paracetamol IP 500mg Phenylephrine Hydrochloride IP 10mg Chlorpheniramine maleate IP 2mg	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Torrent Pharmaceuticals Limited	4.36

Read as

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Paracetamol, Phenylephrine and Chlorpheniramine Tablets	Each uncoated tablet contains: Paracetamol IP 500mg Phenylephrine Hydrochloride IP 10mg Chlorpheniramine maleate IP 2mg	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Torrent Pharmaceuticals Limited	4.36

All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 193(E), dated 11th January, 2023 shall remain same.

[PN/239/107/2023/F F. No. 8(107)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director